HARYANA BILL NO.   OF 2024

THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, commencement and applicability.

1. (1) This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall apply to all the persons appointed on or after the date of the commencement of this Act.

Insertion of section 38A in Haryana Act 24 of 1973.

2. After section 38 of the Haryana Municipal Act, 1973, the following section shall be inserted, namely:-

" 38A. Power to make common service rules.- Notwithstanding anything contained in this Act, the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and any other State Law for the time being in force, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make common service rules regulating the appointment and other terms and conditions of the services of the persons recruited in connection with the affairs of the Municipal Corporations, Municipal Councils and Municipal Committees.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

2024 का हरियाणा विधेयक संख्या.....

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024
हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,
1973 को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

(3) यह इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को या के बाद नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 38क का रखा जाना।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 38 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''38क. सामान्य सेवा नियम बनाने की शक्ति.– इस अधिनियम, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) तथा तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगरपालिका समितियों के मामलों के संबंध में भर्ती किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति तथा सेवा के अन्य निबंधनों तथा शर्तों को विनियमित करने हेतु सामान्य सेवा नियम बना सकती है।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण